फरीदाबाद

मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

Published

Reflections on Marx's Critique of Political Economy

Reprinted

a ballad against work

The books are free

नई सीरीज नम्बर 123 सितम्बर 1998

दबाये न दबे गूँज

इतिहास। मार- काट, लूट- पाट, कब्जों की कहानियाँ। यह करम करती वीर, विद्वान, त्यागी, महान आत्माओं की गाथायें। इतिहास : भाण्डों के ढोल, भाट- चारणों के बोल।

लेकिन मेहनतकशों के खुद के कदमों की गूँज को यह शोर- शराबा दबा नहीं सकता। पोलैन्ड में मजदूरों द्वारा स्वयं कदम उठाने के सिलसिले ने 1980 आते- आते एक बार फिर सरकारी तन्त्र को झकझोर दिया था। वरकरों द्वारा खुद कदम उठाने को रोकने के लिये लीडरी का एक शक्तिशाली ताना- बाना सामने आया- लाया गया था जिसने हिस्सा- पत्ती के लिये सरकार से सौदेबाजी आरम्भ की थी। लेकिन नये लीडरों द्वारा मजदूरों के बीच मोर्चे सम्भाल लेने के बाद भी वरकरों द्वारा खुद कदम उठाना उल्लेखनीय रहा तो दिसम्बर 1981 में पोलैन्ड में फौजी शासन लागु किया गया था। आतंक के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों को अपने लिये नुकसानदायक देख कर मजदूरों ने व्यापक स्तर पर खुद कदम उठाने का सिलसिला जारी रखा था। पोलैन्ड में **मजदूरों द्वारा स्वयं उठाये जाते कुछ कदम यह थे :**

– कोई कमेटी नहीं बनाना, किसी को नेता नहीं बनाना।

– कोई अधिकारी पूछे तो जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं सुना है।

– मर्दानगी वाले कदम उठा कर गिरफ्तार नहीं होना।

– कभी किसी समय अपने सहकर्मी से हुई खट- पट के लिये बदला नहीं लेना। सब अधिकारियों को अपने खिलाफ मानना और अपने सहकर्मियों को अपने साथियों के तौर पर लेना।

– आराम से काम करना। गड़बड़झाले और सुपरवाइजर की अयोग्यता का रोना रोना। हर प्रकार का निर्णय लेना अधिकारियों का कार्य है, वे ही फैसले करें। साहबों को प्रश्नों और शंकाओं से घेर देना। अधिकारियों के लिये सोचने का कार्य नहीं करना। बेवकूफ की तरह व्यवहार करना, जुगाड़ू नहीं बनना।

– पालतू की तरह अधिकारियों के निर्णयों की पूर्वकल्पना नहीं करना। साहब लोग अपने गन्दे कार्य खुद करें। इससे अधिकारियों के इर्द- गिर्द खालीपन का माहौल बनता है। साहबों को तुच्छ से तुच्छ मामले थाली में परोस कर देना। आतंकियों में आतंकी तन्त्र तक लड़खड़ा कर ढह जायेगा।

– साहबों के अत्याधिक बेवकूफी वाले आदेशों का लगन से पालन करना। अपने आप समस्याओं का समाधान नहीं करना, इन्हें अधिकारियों के लिये छोड़ देना। बेतुके नियम हमारे साथी हैं। वैसे नियम कुछ भी कहते हों पर अपने मित्रों व पड़ोसियों को सहायता करना सदा याद रखना।

– केवल नियम अनुसार ही काम करना। अगर कोई अधिकारी नियम तोड़ने को कहता- कहती है तो लिखित आदेश माँगना। ऊपर शिकायत करना। ऐसे तमाशों को जितनी देर तक जारी रख सकें उतना अच्छा। देर- सबेर साहब चाहेंगे कि उन्हें शान्ति से बैठने दें। यह साहबगिरी के, तानाशाही के अन्त का आरम्भ है।

– जहाँ तक सम्भव हो बीमारी की छुट्टी लेना अथवा अपने बच्चों की देखभाल के लिये छुट्टी लेना।

– अधिकारियों के साथ उठ- बैठ से दूर रहना।

– साहबों के हमलों के शिकार लोगों के परिवारों को सहायता देना। अपनी कम्पनी में स्वयं एक- दूसरे की सहायता के लिये हर वक्त तैयार रहना।

– साहबों के प्रोपगेन्डा को पन्चर करने में सक्रिय हिस्सा लेना। विरोध में उठाये गये अपने व अन्य मजदूरों के स्वयं के कदमों की जानकारी को फैलाना।

– सावधानी से दीवारों पर अपनी बातें लिखना- चिपकाना। पढ कर जो पर्चा- पुस्तक ठीक लगे उसे अन्य लोगों तक पहुँचाना।

पोलैन्ड में बड़े पैमाने पर मजदूरों द्वारा स्वयं उठाये जाते ऐसे कदमों ने मार्शल लॉ, फौजी शासन को फुस्स कर दिया। वरकरों द्वारा खुद कदम उठाने को रोकने में बन्दूकों के आतंक के फ्लाप हो जाने पर कुर्बानी का सेहरा बाँधे लीडरों को सत्ता सौंपी गई। नई लीडरी का ताना- बाना वरकरों के स्वयं कदम उठाने को कुछ हद तक रोकने में सफल हुआ।

पूरब-पच्छिम, उत्तर-दक्खिन दिल की बात है : मजदूरों द्वारा खुद कदम उठाना। कैसा भी आतंक क्यों न हो, वरकरों द्वारा स्वयं सोच- विचार कर व आगा- पीछा देख कर अकेले- अकेले तथा टोलियों में स्वयं कदम उठाने के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन धोखा, प्रतिनिधि- नुमाइन्दे- नेता वाला धोखा अब भी हमें फँसा लेता है और हमें हाँकने लगता है। ऐसे में इस- उस लीडर, इस- उस लीडरी तन्त्र व जाल के अनुभवों से सबक ले कर हमें हर प्रकार के प्रतिनिधि- नुमाइन्दे- लीडर के नुकसानदायक होने पर विचार करने की अर्जेन्ट आवश्यकता है।

(जानकारियाँ हमने हेनरी साइमन की किताब "पोलैन्ड 1980- 82" से ली हैं।) ■

'मजदूर समाचार' में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, मजदूर लाइब्रेरी में आराम से बैठ कर बतायें।

अपनी बातें अन्य मजदूरों तक पहुँचाने के लिये 'मजदूर समाचार' में भी छपवाइये। आपका नाम किसी को नहीं बतायेंगे और आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे।

महीने में एक बार ही 'मजदूर समाचार' छाप पाते हैं और 5000 प्रतियाँ ही फ्री बाँट पाते हैं। किसी वजह से सड़क पर आपको नहीं मिले तो 10 तारीख के बाद मजदूर लाइब्रेरी आ कर ले सकते हैं – बोनस में कुछ गपशप भी हो जायेगी।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

तलाश.....परिवर्तन

..... मैं अपनी आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों में इतना व्यस्त था कि किसी अन्य पहलू पर विचार का वक्त ही नहीं मिला। अब मैं बी. ए. द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ .....

.... जब हम दिल्ली में अपने आप को स्थिर रखने में असफल रहे तो मैं और मेरे सहयोगी ओम प्रकाश ने बाम्बे के लिये पलायन किया। वहाँ पहुँच कर हम ने **जिन्दल स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड** बाम्बे या मुंबई में अपने चाचा के माध्यम से 40 रुपये प्रति दिन के हिसाब से काम करना प्रारम्भ किया। इस कम्पनी में तकरीबन 1000 वरकर काम करते हैं। इस कम्पनी में केवल दो शिफ्ट या पाली चलती हैं जिनमें एक पाली 12 घन्टे की होती है। इसमें सिर्फ अफसरों को छोड़ कर बाकी से, चाहे वो कम्पनी का आदमी हो या ठेकेदार का, जानवरों की तरह काम लिया जाता है। इसमें एक डोगरा नाम से है, जी. एम. था या पता नहीं क्या था लोग यही बताते थे। वह हर वरकर की पिटाई कर देता था। उसके आने पर चूहे की तरह लोग अपनी- अपनी मशीनों में घुस जाते थे और वह किसी की भी पिटाई रूल द्वारा कर देता था। कई बार युवा वरकरों ने इसका जम कर विरोध किया पर पूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण आवाज दब जाती है। इन सब के चलते परेशान हो कर हमने वहाँ से भी त्याग- पत्र दे दिया और हम घर वापस आ गये।

हो कुछ भी, आखिर नाम का घर तो था ही और हमने अपने- अपने घरों में चुपके- से कदम दबाये प्रवेश किया। घर कहाँ घर की जरूरतमन्द डगमगाती दीवारों ने अपनी- अपनी जरूरतें पेश की और हमने अपने भावनात्मक पीड़ से उनकी कलह में भाग अवश्य लिया। वेदना असहनीय थी पर करता ही क्या? चन्द दिनों के बाद अपनी चरमराती आर्थिकता की गाड़ी पर सवार हुये और खेतों में परिवार के साथ जुट गये। आज मुझे 18 महीने होने को आ गये, कुछ नजर नहीं आया। यूँ तो हम चलते हैं खूब पर सफर है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता।

पहले तो मैंने ये जाना था कि इस व्यवस्था से सिर्फ युवा वर्ग या मजदूर वर्ग ही परेशान है। पर आज देखता हूँ कि .... मवेशियों को भी चैन नहीं इस व्यवस्था में। यहाँ गाँवों में लोगों का बुरा हाल है। वाकई सामान्य लोगों का जीवन बद से बदतर होना आम बात है। अपना दोष मान कर चुप बैठे रहना भविष्य में हमारे लिये घातक हो सकता है। मानवीय सुरक्षा अब मजदूरों के सहयोग पर ही निर्भर है जिससे सब कुछ बदल सकता है।....

26.7.98 — **अजय कुमार**, सुलतानपुर

परभु का खत

बड़े स्कूल के बड़े पेड़ के नीचे बड़े साहिब बड़े दिन के उपलक्ष में बड़ी- बड़ी बातें बता रहे हैं। बीच- बीच में छोटे साहिब व छोटे बच्चे तालियाँ बजा रहे हैं। गाम के चौधरी व तमाशबीन भी आये हुये हैं। मेरी खटोली थोड़ी दूर के पेड़ के नीचे पड़ी हुई है और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे लिये काला अक्षर भैंस बराबर है।

मेरे पिता श्री गयासीदास ने न जाने किस घड़ी में मेरा नाम 'प्रभु राम' और अपने पोतों के नाम राम सिंह व रघुबीर रखे। मैंने अपने नामरासी भगवान प्रभु राम को जितनी गालियाँ दी हैं उतनी तो शायद अपनी पत्नी सरती देवी को भी नहीं दी हैं।

30 जून 98 को तीस वर्ष की सेवा के बाद सेवा- मुक्त मैं आज 15 अगस्त 98 को भी अपने तीन पीढी के परिवार के साथ यहाँ स्कूल में पड़ा हूँ तो इसलिये कि मुफ्त सेवा के बदले यहाँ रह सकूँ और रहम करके बड़ी सरकार मेरे बड़े बेटे को नौकरी पर लगा ले। अपने बूढे माँ- बाप से ज्यादा सेवा मैंने बड़े स्कूल की करी है। जी नहीं करता कि मेरा बेटा भी यह करे पर मजबूरी है। यहाँ रहते हुये स्वजनों ने गाँव अलखपुरा स्थित मकान पर कब्जा कर लिया। अब जायें तो कहाँ रहें। परिवार बड़ा है। लड़के की सर्विस नहीं लगी तो रहने के बदले मुफ्त सेवा करते रहेंगे।

मुझे तनखा एक मिलती थी और सर्विस दो करता था — एक स्वीपर की और दूसरी चौकीदारा, वह भी चौबीस घन्टे का। यदि चौकीदारा छोड़ दूँ तो फिर रहूँ कहाँ? एक बार खिड़की तोड़ कर चोरी हो गई तो काफी हर्जाना भरना पड़ा था।

मेरा छोटा लड़का मैट्रिक पास करके अपने बाल- बच्चों सहित बाहर रहता है परन्तु कहीं जम नहीं पाया है। मुझे जो मिलेगा उसमें से आधा पैसा अपने उस प्यारे पुत्र को दूँगा और आधा बड़े परिवार वाले निरक्षर राम सिंह भगत को दूँगा। मेरी पत्नी गाँव से जो कमा कर लाती है उसे अपनी बेटियों और यहाँ बेटे को दे देती है।

बोलण को मन्नैं बेरो कोनी आर चोरी करणी आवै कोनी जिद्दे कोये मेरे तैं राजी कोनी। इब तो दिक्खण आर सुणन तैं बी रह ग्यो.....

15.8.98 — **प्रभु राम**, रिटायर्ड स्वीपर

सेक्युरिटी-सेक्युरिटी-सेक्युरिटी

हर सेक्युरिटी की यही कहानी, पहले ड्युटी करो फिर तनखा नाहीं। प्रिय भाइयो और बहनो, मुझे बहुत व्यवहारिक अनुभव है। मैंने कई सेक्युरिटी की नौकरी की है। काम पर लगने में मुझे कहीं भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे लम्बाई 5 फुट 11 इन्च दी है।

एक जगह मैंने 29 महीने लगातार ड्युटी की। 29 महीने बाद घर गया। लौटने पर मुझे ड्युटी पर नहीं लिया, नौकरी से निकाल दिया।

दूसरी जगह लगा और रोज 12 घन्टे ड्युटी की — कई दिन 36 घन्टे ड्युटी की। एक महीने बाद त्यौहार के अवसर पर 50 रुपये माँगने पर गाली सुन कर मैंने नौकरी छोड़ दी।

फिर मैंने एक अच्छे- खासे नाम वाली सेक्युरिटी में नौकरी की। तनखा अच्छी थी लेकिन हैड आफिस में मेरी हाजरी का कोई रिकार्ड ही नहीं रखा। कहने लगे कि तुम हाजिर नहीं थे जबकि ड्युटी- स्थल पर मैंने सिगनेचर किये थे।

एक जगह मुझे भर्ती के समय कहा कि 12 घन्टे ड्युटी के 2400 रुपये महीना देंगे। तीसों दिन ड्युटी, पर्व- त्यौहार के दिन भी। पेमेन्ट लेने मैं हैड आफिस गया तो महीने- भर 12 घन्टे रोज ड्युटी करने पर 1500 रुपये के हिसाब से पैसे बनाये। मैंने 2400 की बात कही तो बोले कि तेरे को सुनने में गलती थी।

जहाँ ड्युटी लगाते हैं वहाँ के अफसर व लीडर गाली देते हैं। गाली का विरोध करने पर एक गार्ड का सिर फोड़ दिया — चार टाँके आये। ठेकेदार कुछ नहीं बोला क्योंकि वह उस कम्पनी से 50 हजार रुपये महीना कमाता है। गार्ड को 100 रुपये दवाई के लिये दिये।

कोई फन्ड नहीं, कोई ई. एस. आई. कार्ड नहीं। लेबर इन्सपैक्टरों से बोलते हैं तो वे कहते हैं कि जगह हमारे एरिया में नहीं पड़ती। आज तक मैं 5 लेबर इन्सपैक्टरों से मिल चुका हूँ। हर जिम्मेदार अफसर पैसे वालों से ही मिले रहते हैं।

गार्ड के काम में मुझे सबसे बुरा लगा तलाशी लेना। एक जगह जैन्ट्स पेशाब करने जाते तब तलाशी लो, रोटी खाने जाते तब तलाशी लो, चाय पीने जाते तब तलाशी लो। छुट्टी के समय जैन्ट्स तो क्या, मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि मुझे अपनी बहनों के टिफिन, छोटे बैग और पर्स तक की तलाशी लेनी पड़ती। दो दिन वहाँ ड्युटी करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी।

महीना पर मकान मालिक किराया माँगता है। परचून दुकान वाला बोलता है कौनसी नौकरी करते हो कि 26 तारीख तक तनखा नहीं मिली। चाय वाला .... और ठेकेदार कहता रहता है कि अभी चेक नहीं मिला, अभी चेक नहीं मिला .... आज 28 अगस्त हो गया है और मुझे जुलाई की तनखा नहीं मिली है। (पत्र हमने कुछ छोटा कर दिया है।)

28.8.98 — **एक सेक्युरिटी गार्ड**, फरीदाबाद

ओरियंटल पावर केबल्स, कोटा

कोटा नगर निगम सीमा से मात्र 11 किलोमीटर दूर जयपुर- जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ओरियंटल पावर केबल्स की 400 से भी अधिक आवासीय भवनों वाली बस्ती अब उजाड़ हो चुकी है। इसके ठीक सामने बसी बस्ती जिसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के नाम से राजेन्द्र नगर का नाम दिया गया था, आधी से अधिक वीरान है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनी चाय- पानी व किराना- परचूनी की दुकानों पर भले ही थोड़े लोगों का समूह नजर आ जाता है पर शेष समूची बस्ती में सन्नाटे का साम्राज्य बना रहता है। इस बस्ती के हर निवासी की आँखों में विगत ग्यारह वर्षों से एक ही सवाल शूल की तरह उगा हुआ है कि सामने 400 एकड़ जमीन पर पसरा उद्योग ओरियंटल पावर केबल्स कब चलेगा?

वर्ष 1982 में जब इस उद्योग की उत्पादन क्षमता बढाने के लिये एक नये XLEP प्लान्ट की योजना पर कार्य चल रहा था तब लोगों को इससे बड़ी आशायें थी। रोजगार के अवसर बढने की आशा के साथ- साथ श्रमिक- कर्मचारियों के जीवन निर्वाह का स्तर बढने व सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार की आशाओं से यहाँ के कर्मचारी व गैर- कर्मचारी सभी प्रफुल्लित थे। पर वर्ष 1985 के अंत में जब 10 करोड़ की लागत का आधुनिक व स्वचालित प्लान्ट बन कर तैयार हुआ, श्रमिक- कर्मचारियों के भविष्य पर अनिष्ठ की आशंकायें मंडराने लगी। जनवरी 86 से श्रमिक- कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का जो क्रम शुरू हुआ वह आज तक जारी है। प्रारम्भ के तीन वर्षों तक तो प्रबन्धक निरन्तर वेतन अदा करने और उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया बहाल करने के वायदे करते रहे तथा बाद में यह काम उद्योग की मान्यता प्राप्त सीटू यूनियन के नेताओं ने सम्भाल लिया।

साठ के दशक में स्थापित यह उद्योग एशिया के सबसे आधुनिकतम व सर्वाधिक विद्युत क्षमता प्रवाहित करने वाले केबल्स के निर्माण में अपना सानी नहीं रखता था। लगभग 800 श्रमिक- कर्मचारियों के अतिरिक्त 100 से भी अधिक श्रमिक विभिन्न कार्यों में ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे थे। .....

राष्ट्रीय महत्व के इस विकसित व विस्तारित होते उद्योग का अचानक बन्द हो जाना तब उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना आज इसके पुनःचालन के प्रति आशान्वित श्रमिकों के भ्रमों का नहीं टूटना है। उद्योग में जिन नाटकीय परिस्थितियों में वेतन मिलना बन्द हुआ और उत्पादन प्रक्रिया ठप्प हुई उनमें किसी को भी इस उद्योग के इतने लम्बे समय तक बन्द रहने की आशंका नहीं थी। अब इस उद्योग के पुनःचालन की आशा श्रमिक- कर्मचारियों के परिवारों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इसलिये प्रज्जवलित है कि उन्हें उम्मीद है कि यदि कारखाना चलेगा तो सम्भवतः उनके व्यस्क पुत्रों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा – उनका भविष्य उद्योग बन्दी की अवस्था ने तबाह कर दिया, वे अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के कारण उचित शिक्षण व प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सके। श्रमिक- कर्मचारियों का बकाया वेतन, बोनस, गेच्युटी आदि सभी उद्योग की तरफ बकाया हैं और औसत रूप से प्रति श्रमिक- कर्मचारी यह राशि बगैर किसी ब्याज के लगभग 4 लाख रुपये बनती है।

आशा व निराशा की मृगमरीचिका में फँसे इन श्रमिक- कर्मचारियों में से बीमारियों व अभावों के चलते 90 से भी अधिक को मौत के पँजों ने दबोच लिया है।..... 200 से अधिक श्रमिक- कर्मचारी अपनी सेवा- निवृती की आयु पार कर चुके हैं पर न तो मरने वालों के परिवारजनों को और न ही सेवा- निवृत श्रमिकों को कुछ हाथ लगा है।....

ओरियंटल पावर केबल्स तो मात्र एक उदाहरण है और जे.के. सिन्थेटिक्स 12 वर्ष के अन्तराल के बाद उससे बड़ा उदाहरण बनने के रास्ते पर अग्रसर है।..... जे.के. समूह के दो उद्योगों में 10 माह से वेतन नहीं दिया गया है..... (लेख का 25 प्रतिशत ही यहाँ दिया है।)

14.8.98 — **कन्हैया लाल जैन,** केबलनगर, कोटा

थोड़ी फुरसत से

❁ **ट्रान्सपोर्ट वरकर :** "आमतौर पर ट्रान्सपोर्ट कम्पनियाँ वरकरों को टाइम पर तनखा नहीं देती। बिना वेतन के 2- 3 महीने हो जाते हैं। वेतन माँगते हैं तो कहते हैं कि हिसाब ले लो, कौन तुम्हें बुलाने गया था।"

❁ **केल्विनेटर-व्हर्लपूल-टेकमसेह डिसमिस स्टाफ :** "मैनेजमेन्ट ने 1995 में आठ सौ लोगों को 55 साल में रिटायरमेन्ट अनुसार हिसाब दे कर निकाल दिया था। इनमें से 150 ने 58 साल आयु पर रिटायरमेन्ट अनुसार हिसाब के लिये केस किया था। अगस्त 1997 में लेबर कोर्ट में यह केस जीत गये हैं। मैनेजमेन्ट हाई कोर्ट चली गई है।"

❁ **सरकारी स्कूल अध्यापक :** "पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लँगड़ी लागू की गई हैं। कुछ फायदा नहीं हुआ और अध्यापकों के बीच आपसी विवाद खड़े कर दिये हैं। नेताओं के मौज है। शहरों में अपार भीड़ है – तिकोना पार्क स्कूल में एक अध्यापक को एक समय 250 छात्रों को पढाना पड़ता है।"

❁ **आयशर ट्रैक्टर अप्रेन्टिस वरकर :** "जनरल मैनेजर से दुर्व्यवहार के आरोप में मैनेजमेन्ट ने 5 अगस्त को 60 अप्रेन्टिसों को सस्पैन्ड कर दिया। कोई खास बात नहीं हुई थी फिर भी हमने दूसरे दिन खेद व्यक्त कर दिया। खेद जाहिर करने के 12 दिन बाद भी हमें ड्युटी पर नहीं लिया है।"

❁ **एस्कोर्ट्स यामाहा (राजदूत) वरकर :** "अगर आई. ई. नोर्म्स लागु हुई तो मोटरसाइकिलों की डेली प्रोडक्शन 350 से बढ कर 500 हो जायेगी और फिर आधे मजदूरों की छँटनी तो होगी ही। इसीलिये एस्कोर्ट्स के सब प्लान्टों के वरकर कह रहे हैं कि इस एग्रीमेन्ट के जँजाल को छोड़ो। जैसा चल रहा है चलने दो। मैनेजमेन्ट को जब जितना प्रोडक्शन बढाना हो तब उतने पैसे दे। लेकिन एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट एग्रीमेन्ट पर जोर दे रही है।"

❁ **निप्पुन क्रेन्स वरकर :** "40 परमानेन्ट वरकर थे पर अब दो- तीन ही परमानेन्ट हैं। हड़ताल- तालाबन्दी कर के निकाल दिये और ठेकेदारी बढा दी। हम ने देख लिया है कि लेबर डिपार्टमेन्ट में सब मैनेजमेन्ट से मिले हुये हैं।"

❁ **बत्रा एसोसियेट्स मजदूर :** "हम 150 थे, यूनियनबाजी के चक्कर में 70- 80 ही रह गये हैं। 1989 में एच.एम.एस. ने डेढ महीने की हड़ताल करवाई थी। कुछ नहीं मिला। किसी तरह अन्दर आये। लीडरों ने चन्दा खूब लिया।"

❁ **ओखला में कार्यरत वरकर :** "जनता स्टील के अन्दर आम्रपाली स्ट्रक्चरल्स में काम करता था। 1985 में चार महीने का वेतन बकाया होने पर सीटू यूनियन के नेतृत्व में हड़ताल की। 1986 में मैनेजमेन्ट ने 14 वरकर डिसमिस कर दिये। सीटू के एक लीडर ने हमारी फाइल खो दी और बड़े लीडर ने ढील दिखाई तो हमने एक वकील को अपना केस सौंप दिया। 13 साल हो गये हैं पर अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ है।"

❁ **बोनी कोर्प मजदूर :** "मैनेजमेन्ट ने 13 जुलाई से 11 अगस्त तक ले ऑफ का नोटिस लगाया था। उसके बाद न तो मैनेजमेन्ट ने ले ऑफ का नोटिस लगाया है और न ही हमें ड्युटी पर ले रही है।"

❁ **के जी खोसला कम्प्रेसर वरकर :** "पहले 4000 वरकर थे, अब 1100 ही रह गये हैं और प्रोडक्शन दुगना हो गया है। हड़ताल में 1984 में जो मजदूर डिसमिस किये गये थे उनका केस अभी भी चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है।"

❁ **जे.एम.ए. इन्डस्ट्रीज डिसमिस मजदूर :** "एक नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिये 1985 में 350 जे एम ए वरकरों को लीडरों के जरिये दिल्ली ले गया। पाँच महीने हमें बड़े- बड़े नेताओं की कोठियों पर रखा। कभी अजीत सिंह तो कभी रोमेश भण्डारी से मिलवाया और फिर प्रधान मन्त्री राजीव गाँधी से। हमें आश्वासन थोक में मिले और नतीजा रहा हम 350 मजदूरों की नौकरियाँ चली जाना।"

छोटे-छोटे पन्चर

एक सरकारी विभाग में 28 साल से नौकरी कर रहे एक क्लास फोर कर्मचारी ने बताया :

" एक नौजवान डॉक्टर हमारे नये इन्चार्ज बन कर आये। डॉक्टर साहब ने मेरे से सिगरेट मँगवाई। यह मेरा काम नहीं था और ऐसे मेरे से सिगरेट मँगवाना मुझे बहुत बुरा लगा पर मैंने ला दी। साहब मेरे से रोज सिगरेट मँगवाने लगा। रोज- रोज की इस जलालत से छुटकारा पाने के लिये मैंने एक दिन सिगरेट का पैकेट खोला और एक सिगरेट सुलगाई हालाँकि मैं सिगरेट नहीं पीता। डॉक्टर साहब ने कहा कि डिब्बी में 9 ही सिगरेट हैं और पूछा कि एक कहाँ गई ? मैंने कहा कि साहब मेरे पास टूटे पैसे नहीं थे, एक सिगरेट मैंने पी ली। तीन बार यह करने पर साहब ने मेरे से सिगरेट मँगवानी बन्द कर दी। "

मरे हुये कुत्ते को लात मारना

झालानी टूल्स के मजदूरों ने बताया : " एक के बाद दूसरे को आजमा कर हमने सब नेताओं को देख लिया पर हमारी बकाया तनखायें बढ़ती गई। आठ महीनों का वेतन बकाया होने पर सितम्बर 96 में हम में से कुछ ने अपनी बकाया तनखाओं को हासिल करने के लिये खुद कदम उठाने शुरू किये। झालानी टूल्स मजदूरों द्वारा स्वयं कदम उठाने का सिलसिला बढा और मैनेजमेन्ट तथा प्रशासन की परेशानियाँ बढने लगी। मैनेजमेन्ट ने लीडरों के सब गुटों को दिल्ली सीटू की छतरी के नीचे एकत्र किया – गेडोर - झालानी टूल्स के सब लीडर सीटू में पले हैं। सब लीडरों की सहमति से तैयार की गई एक एग्रीमेन्ट की जानकारी दिल्ली सीटू के लीडर ने 4 जून 97 को देनी शुरू की। मजदूरों के भारी विरोध को देख कर 16 तारीख को फिर मीटिंग करने की कह कर भाषणबाज भागे। लेकिन 6. 6. 97 को गुपचुप मैनेजमेन्ट, सीटू लीडरों और डी एल सी ने उस एग्रीमेन्ट पर दस्तखत कर दिये। कुछ समय बाद पता लगा तो विरोध में डी सी और डी एल सी के पास टोली पर टोली में जा कर हम मजदूरों ने साहबों को बौखला दिया। अपनी खाल बचाने के लिये 30.7.97 को डी एल सी ने पत्र क्रमांक 2839- 41/30.7.97 और पृष्ठांकन क्रमांक 2842- 44/30.7.97 द्वारा 6. 6. 97 की एग्रीमेन्ट को रद्द कर दिया। देखो 30.7.97 के उस पत्र में डी एल सी ने लिखा है :–

' कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की अत्यधिक शिकायतें लिखित में इस कार्यालय में प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने इस समझौते पर विरोध प्रकट किया और अब लगभग 1600 श्रमिकों ने लिखित रूप में विरोध प्रकट किया है कि यह समझौता उन्हें मान्य नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति में दिनांक 6.6.97 को प्रस्तुत किया गया समझौता कानूनन कोई अस्तित्व नहीं रखता और इसे इस कार्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती।'

लेकिन यह पत्र फैक्ट्री मैनेजरों के नाम है और सीटू लीडरों को इसकी प्रति भेजी गई। ऐसे में मजदूरों को अनजान मान कर मैनेजमेन्ट ने 6.6.97 की एग्रीमेन्ट की आड़ में धोखाधड़ी करने की कोशिश की है और अब कुछ लोग मरे कुत्ते को लात मार कर तीसमार खाँ बन रहे हैं।

" दरअसल झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट की एक के बाद दूसरी चाल मजदूरों द्वारा खुद कदम उठाने की वजह से फेल हो गई है। ऐसे में स्वयं कदम उठा रहे मजदूरों की संख्या को बढने से रोकने के लिये, गत्ते वालों को रोकने के लिये मैनेजमेन्ट ने खुली गुण्डागर्दी और कोर्ट- कचहरी के दोहरे घेरे वाला चक्रव्यहू रचा है। डर और धोखे के ताने- बाने वाले इस चक्रव्यहू को भी हम मजदूर खुद छोटे–छोटे आसान कदम उठा कर छिन्न- भिन्न कर देंगे। आखिर हर मजदूर के दो लाख रुपयों का सवाल है, झालानी टूल्स के 2183 मजदूरों के 40 करोड़ की बात है।" ■

❁ **जगसन पाल फार्मास्युटिकल्स वरकर :** " मँहगाई के जो आँकड़े आते हैं उनमें भी मैनेजमेन्ट गड़बड़ करती है। 135 पाइन्ट आये तब 70 के पैसे दिये। लेबर डिपार्टमेन्ट में शिकायत की तब मैनेजमेन्ट ने आँकड़ों के अनुसार डी.ए. दिया।"

चलते-चलते

- **डी. एस. डीजल वरकर :** " दो महीने से वेतन नहीं दिया है।"
- **सुपर फाइबर लिमिटेड (जूट मिल) मजदूर :** " दस घन्टे की ड्यूटी है। सन्डे- मन्डे कुछ नहीं, सातों दिन काम करना पड़ता है। 1200 वरकर हैं।"
- **साइकिल पर दोनों तरफ लोहे के डिब्बे व औजार टाँगे वरकर:** " सरकारी विभाग में काम करता हूँ। 11 साल हो गये, हर पाँचवे महीने ब्रेक कर देते हैं।"
- **बदरपुर स्थित एस. के. एस. फैक्ट्री वरकर :** " पोल्युशन वालों ने 31 जुलाई को फैक्ट्री बन्द करवा दी। मैनेजमेन्ट ने पहली अगस्त से जबरन ले ऑफ लगा दिया है और जुलाई का वेतन आज 14 अगस्त तक नहीं दिया है।"
- **हितकारी पोट्रीज चौकीदार :** " प्याली मैनेजमेन्ट ने 10 महीनों से चौकीदारों को भी वेतन नहीं दिया है और कम्पनी की सम्पत्ति बेचने में लगी है।"
- **दिल्ली आटोमोबाइल्स मजदूर :** " हड़ताल दूसरे महीने भी जारी है। मैनेजमेन्ट तारीख पर पहुँचती ही नहीं है। "
- **पोलीमर पेपर वरकर :** " 125 मजदूरों में 30 ही परमानेन्ट हैं। दस- दस साल की सर्विस वाले कैजुअल हैं।"
- **एस.पी.एल. मजदूर :** " तीनों प्लान्टों में 12- 12 घन्टे ड्युटी। ओवर टाइम का सिंगल रेट। ब्रेक देते रहते हैं, परमानेन्ट नहीं करते।"
- **पेप्सी लहर के लिए नमकीन बनाती बीकानो फैक्ट्री वरकर:** " 12 घन्टे की ड्युटी है और हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन भी नहीं देते।"
- **कर्निता टैक्सटाइल्स मजदूर :** " 800 वरकर हैं पर कोई भी परमानेन्ट नहीं है। 12- 12 घन्टे की दो शिफ्ट हैं।"
- **साहनी सिल्क वरकर :** " 12 घन्टे की ड्युटी है और ओवर टाइम सिंगल रेट से है।"
- **नूकैम (मथुरा रोड़) वरकर :** " जून की तनखा 4- 5 अगस्त को दी और जुलाई का वेतन आज 21 अगस्त तक नहीं दिया है।"

बाटा एग्रीमेन्ट

5 मई 1998 को बाटा मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट की प्रति मजदूरों को नहीं दी गई है। क्यों ?

इस एग्रीमेन्ट के क्रमाँक 14 (पेज 4) और क्रमाँक 16 ई (पेज 6) में यह सहमतियाँ हैं :

– क्वालिटी सुधारने, उत्पादकता बढाने, नई मशीनरी लगाने आदि के जरिये मजदूरों पर वर्क लोड बढाने की सहमति।

– सेमी- आटोमैटिक लाइनें बदलने की सहमति। वर्तमान में जारी उत्पादन आधारित इनसैन्टिव को सेमी- आटोमैटिक लाइनों के बदलने के साथ समाप्त करने पर सहमति।

– " परिवर्तनों का परिणाम सीधी- डायरेक्ट छँटनी नहीं होगा" की आड़ में बड़े पैमाने पर 'अप्रत्यक्ष' छँटनी के लिये सहमति।

– कनवेयरों को माल प्रदान करते तथा मेन्टेनैन्स आदि करने वाले सभी मजदूरों पर वर्क लोड बढाने पर सहमति। वर्क लोड में अतिरिक्त वृद्धि परिणाम होगा सेमी- आटोमैटिक कनवेयरों को बदलने का।

जिक्र कर दें कि बाटा मैनेजमेन्ट कई वर्षों से तैयारी कर रही है। सितम्बर 1994 की एग्रीमेन्ट के क्रमाँक 14 व 16 ई की हूबहू, शब्दशः नकल हैं 1998 की एग्रीमेन्ट के क्रमाँक 14 व 16 ई। ■

❁ **रतनचन्द हरजसराय मोल्डिंग मजदूर :** " अब हम 35- 40 वरकर ही रह गये हैं। कोई काम नहीं है। हम कहते हैं कि हिसाब दे दो पर मैनेजमेन्ट नहीं देती। तनखा नहीं देने पर हम फैक्ट्री अहाते में स्थित इसी मैनेजमेन्ट की दूसरी कम्पनी के माल की डिस्पैच को रोक देते हैं। दो साल से पी.एफ. नहीं जमा करवाया है।"

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु गार्डन, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।